

कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, गोण्डा।

सेवा में,

प्रबन्धक,
नजीर नेशनल स्कूल
विशुनपुर बैलभरिया
रूपईडीह गोण्डा।

पत्रांक: मान्यता / २१३५५-५८ / 2019-20 दिनांक: ०७/०२/२०२०
विषय:- निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 की धारा-18 प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम-2010, के 15 के उप नियम-(4) के लिए मान्यता प्रमाण पत्र।
महोदय,

आपके तारीख 27.9.2019 के आवेदन और इस सम्बन्ध में विद्यालय के पश्चात्वर्ती पत्राचार / निरीक्षण के प्रति निर्देश से मैं नजीर नेशनल स्कूल विशुनपुर बैलभरिया रूपईडीह गोण्डा को पत्र निर्गत तिथि से एक वर्ष के लिए नर्सरी से आठ तक के लिए अंग्रेजी माध्यम से अनन्तिम मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ।
उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों के पूरा किये जाने के अध्यधीन है।

1. मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है उसमें किसी भी रूप में कक्षा-8 के पश्चात मान्यता / सम्बन्धित करने के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।
2. विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 (उपबन्ध-1) और निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम -2010(उपबन्ध-2) के उपबन्धों का पालन किया जायेगा।
3. विद्यालय के नर्सरी अथवा कक्षा-1 में बालकों की सख्त्या-25 प्रतिशत तक आस-पडोस के कमजोर वर्गों और सुविधा विहीन समूह के बालकों के प्रवेश प्रदान करेंगा और उन्हे निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध करायेगा।
4. पैरा-3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा-12 की उप धारा-(2) के उपबन्धों के अनुसार प्रतिपूर्तियां किया जायेगा। ऐसी प्रतिपूर्तियों प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
5. सोसाइटी/विद्यालय के किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेंगा और किसी बालक और उसके माता पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रक्रिया के अध्यधीन नहीं करेगा।
6. विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इन्कार नहीं करेगा और वह अधिनियम की धारा-15 के उपबन्धों का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा:-
 - क. प्रवेश दिये गये किसी भी बालक को विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा दूरी होने तक किसी कक्षा में फेल वही किया जायेगा और न उसे विद्यालय से निष्कासित किया जायेगा।
 - ख. किसी भी बालक को शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीड़न के अध्यधीन नहीं किया जायेगा।



- घ. प्राथमिक शिक्षा पूरीकरने वाले प्रत्येक बालक को नियम-25 के अधीन अधिकथित किये गये अनुसार एक प्रमाण-पत्र प्रदान किया जायेगा।
- ड. अधिनियम के उपकथ के अनुसार निश्चितता ग्रस्त / विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जायेगा।
- च. अध्यापकों की भर्ती धारा-23 (1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अहंताओं के साथ की जाती है। परन्तु यह और की विद्यमान अध्यापक, जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अहंताएं नहीं हैं, पाँच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्जित करेंगे।
- छ. अध्यापक अधिनियम की धारा-24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है और अध्यापक रवय को किसी निजी अध्यापक कियाकलापों में नियोजित नहीं करेगा।
7. विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यार्थ के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।
8. विद्यालय अधिनियम की धारा-19 में यथा विनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों एवं रानीयमों को बनाये रखेगा। अन्तिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गयी प्रसुतिएँ निम्नानुसार हैं:-
- | | | |
|--|---|------|
| विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल | - | 3600 |
| कुल निर्मित क्षेत्रफल | - | 3200 |
| क्रीड़ा स्थल का क्षेत्रफल | - | |
| कक्षाओं की संख्या | - | 10 |
| प्रधानाध्यापक-सह-कार्यालय-सह भंडागार के लिए कक्ष | - | है। |
| बालक एवं बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय | - | है। |
| पेय जल सुविधा | - | है। |
| गिड-डे-मील पकाने के लिए रसोई | - | |
| वाधा रहित फट्टुच | - | है। |
| अध्यापन पाठ्न सामग्री/क्रीड़ा खेलकूद उपस्करण | - | है। |
| पुस्तक की उपलब्धता | - | है। |
9. विद्यालय के परिसर के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कदाये नहीं चलायी जायेगी।
10. विद्यालय भवनों व अन्य संरचनाओं या क्रीड़ा-स्थल का प्रयोग शिक्षा एवं कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जायेगा।
11. विद्यालय की सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम-1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लाक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।
12. स्कूल को किसी व्यक्तियों के समूह या समग्र या किन्ही अन्य व्यक्तियों के लाग के लिए नहीं चलाया जा रहा है।
13. विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्टड एकाउटेन्ट द्वारा सम्परीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किये जाने चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला के वैसिक शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए।



जिला नैसिक शिक्षा अधिकारी

14. आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड—..... है। कृपया इसे नोट कर ले और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इस संख्या का उल्लेख करें।
15. विद्यालय ऐसी रिपोर्ट आदि सूचना प्रस्तुत करेगा जो समय-समय पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और समुचित सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के द्वारा अनुदेशकों का पालन करता है जो मान्यता प्रबन्धों शर्तों के सतत अनुपालन सुनिश्चित करेगा या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किये जाय।
16. सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीनीकरण का यदि कोई हो तो सुनिश्चित किया जाय।
17. संलग्नक उपाबन्ध के अनुसार अन्य कोई शर्त।
18. उपरोक्त मान्यता सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी/जांच अधिकारी की निश्चित आख्या तथा उनकी संस्तुति के आधार पर प्रदान की गयी है। भविष्य में यदि कोई तथ्य गोपन पाया जाता है अथवा कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है तो यह आदेश निर्गत तिथि से स्वतः समाप्त समझा जायेगा।

०८/०२/२०२०


जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
जिला गोण्डा शिक्षा अधिकारी
गोण्डा

पृ०सं० / मान्यता / / 2019-20 दिनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिला समाज कल्याण अधिकारी, गोण्डा।
2. जिला पिघड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, गोण्डा।
3. जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, गोण्डा।
4. संबंधित खण्ड शिक्षा अधिकारी, गोण्डा को इस आशय के साथ प्रेषित है कि आपकी आख्या एवं संस्तुति के आधार पर मान्यता प्रदान की गई है। यदि भविष्य में कोई शिकायत या तथ्य गोपन पाया जाता है तो आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
गोण्डा।



कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी गोण्डा।

पत्रांक-बै०शि०/ ०३२५-२० / 2020-21 दिनांक- २१.१०-२१
प्रबन्धक

नजीर नेशनल स्कूल
विशुनपुर बेलभरिया रूपईडीह गोण्डा।

विषय- स्थाई मान्यता निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

उपर्युक्त विषयक नजीर नेशनल स्कूल विशुनपुर बेलभरिया रूपईडीह गोण्डा का अद्योहस्ताक्षरी कार्यालय पत्रांक- 21344-48 / 2019-20 दिनांक- 07.02.2020 के द्वारा नर्सरी से कक्ष 08 तक अस्थाई मान्यता निर्गत किया गया था। खण्ड शिक्षा अधिकारी रूपईडीह के कार्यालय पत्रांक- 339 / 2021-22 / दिनांक- 16.01.2021 के द्वारा प्रस्तुत आख्या के आधार पर पूर्वत शर्तों के अधीन उक्त विद्यालय की मान्यता स्थाई किया जाता है। यदि भविष्य में कोई तथ्यगोपन पाया जाता है है तो यह आदेश निर्गत तिथि से ही स्वतः निरस्त माना जायेगा।

(राकेश कुमार)

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी

गोण्डा।

पृ०सं०: बै०शि० / 2020-21 तददिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी महोदय गोण्डा।
2. सहायक शिक्षा निदेशक (बै०) देवीपाटन मण्डल गोण्डा।
3. खण्ड शिक्षा अधिकारी गोण्डा।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
गोण्डा।

